संख्या- 06 /2023/2493/चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2023

विषय- दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 को रामबाग चुनार जनपद मिर्जापुर में देशज दिवस कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-197/लो0ज0क0सं0स0/2022-23, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 को रामबाग चुनार जनपद मिर्जापुर में देशज दिवस कार्यक्रम में कलाकारों के आने-जाने हेतु 05 बसों के किराया हेतु रू0 1,50,000.00 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति- 800- अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव- 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 06 /2023/ 2493 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।